न्यायालय जिला कलेक्टर बूंदी (राज.) सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/24	वकुलाप उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया, नकल वकील रेस्पो० को दी गई। मिसल वास्ते बहस प्रा०पत्र में दिनांक 09/12/24 को पेश हो।	
09/12/24	वकुलाप उपस्थित। बहस प्रा०पत्र OR41R3A CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र में दिनांक 16/12/24 को पेश हो।	
16/12/24	वकुलाप उपस्थित। प्रार्थनापत्र OR41 R3(A) CPC का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। वकील रेस्पो.सं. 1 का कथन रहा कि अपील को गुणावगुण पर सुनने से पहले धारा 5 के प्रार्थनापत्र पर सुनकर निर्णीत किया जाना आवश्यक है, जबकि वकील अपीलांट का तर्क रहा कि अपील लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश की गई है जो एक Special act है। धारा 87 LR Act के तहत मियाद के प्रश्न पर भारतीय मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें Delay Condon करने का प्रावधान है। अत: हस्तगत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थनापत्र धारा 5 पर पहले सुना न्यायोचित प्रतीत होता है अत: प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 3(A) CPC स्वीकार किया जाता है।	

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व त... अहकाम जो हुक्म की तामी... में जारी हुए

तत्पश्चात् प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का कथन रहा कि अनुसूचित जन जाति के खातेदार कल्याण मीणा के फौत हो जाने पर उसका पुत्र अपीलांट नंदकिशोर के मौजूद होते हुये भी पुत्री बीनाबाई के नाम नामान्तकरण खोलने का अवैध्य आदेश प्रदान किया गया, उक्त अवैध्य आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है ऐसे गैरकानूनी रूप से खोले गये नामान्तकरण पर कोई मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है ऐसे अवैध्य आदेश को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है वकील अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 1992 पेज 21, RRD 1992 पेज 545, RRD 1992 पेज 17, RRD 1992 पेज 173-B, RRD 1992 पेज 117, RRD 1998 पेज 319 की नजीरें पेश की जाकर अपील मियाद के टेक्नीकल आधार पर निर्णित नहीं की जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया। दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का तर्क रहा कि अपीलांट द्वारा नामान्तकरण के विरुद्ध 30 वर्ष बाद अपील पेश की है जबकि अपीलांट को खातेदार होने से अपने खाते में अंकित नामों के संबंध में तस्दीक किये गये पिता के फौती नामान्तकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 10/06/2008 को उक्त खाते में स्थित हिस्से पर कृषि चढ़ण भी प्राप्त किया हुआ है इसप्रकार अपीलांट द्वारा दिनांक 11/03/24 को जानकारी होने का प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य झूठा है। इसलिए अपीलांट द्वारा तथ्य छिपाकर पेश की गई अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष प्रार्थनापत्र धारा 5 पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट द्वारा नामा० सं. 496 दिनांक 19/05/1994 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 12/03/2024 को 30 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 5 में नामा० की जानकारी दिनांक 11/03/2024 को होना अंकित किया है। पत्रावली पर पेश नकल जमाबंदी संवत 2072-2075 में खातेदार नन्दकिशोर, बीनाबाई, मु० धन्नी दर्ज रेकार्ड है। अपीलांट द्वारा उक्त नकल जमाबंदी दिनांक 21/08/23 को ही प्राप्त की हुई है। ऐसे में खाते में पुत्री का नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 11/03/24 को होने का कथन दस्तावेजी साक्ष्य से असत्य प्रमाणित होता है। अपीलांट द्वारा उक्त खाते पर कृषि ऋण लिया जाना भी उक्त जमाबंदी नकल दिनांक 21/8/23 से प्रमाणित है। इसके बावजूद अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील निर्धारित समयसीमा में पेश नहीं कर विलम्ब से पेश की गई है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा 30 वर्ष के विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील अवधि बाधित होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। sd/- जिला कलेक्टर, बून्दी	

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते